राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना—800 022

पत्रांकः-बी.यू.-24/2019- /रा०स०(।), दिनांक-

प्रेषक,

रॉबर्ट एल. चोंग्थू,
राज्यपाल के प्रधान सचिव

सेवा में,

कुलपति,
बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालय ।

विषयः- **ITI परीक्षा उत्तीर्ण एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 12वीं उत्तीर्ण की समकक्षता के अनुरूप स्नातक कक्षा में नामांकन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार से प्राप्त पत्रांक-15/एम 1-01/2019-2567 दिनांक-26.11.2021 एवं सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य पत्रांक-SHEC/Gover.Sect./other/56/2021-522 दिनांक-12.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) / स्टेट कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा ITI के परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा ।

अतएव उपर्युक्त से संबंधित शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-342 दिनांक-09.07.2018 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त आदेश की कंडिका-2 एवं 3 में वर्णित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः-यथा उपर्युक्त ।

ह०/-
(रॉबर्ट एल. चोंग्थू)
राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः-बी.यू.-24/2019- /रा०स०(।), दिनांक-

प्रतिलिपिः-निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को पत्रांक-15/एम 1-01/2019-2567 दिनांक-26.11.2021 के क्रम में / सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-
राज्यपाल के प्रधान सचिव

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना—800 022

ज्ञापांकः-बी.यू.-24/2019- 1923/रा०स०(।), दिनांक- 18.11.2022

प्रतिलिपिः-माननीय राज्यपाल के आप्त सचिव / माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव के आप्त सचिव / प्रभारी, एन.आई.सी., राजभवन, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु / कस्टोडियन गार्ड फाईल ।

18.11.2022

राज्यपाल के प्रधान सचिव

Letter No.- SHEC/Gover.Sect/other/56/2021-522

Bihar State Higher Education Council

Government of Bihar

Budh Marg, Patna-800001

From

Asangba Chuba Ao, I.A.S.
Member Secretary -Cum- State Project Director
State Higher Education Council,
Govt. of Bihar, Patna

To

Vinod Kumar Tiwari,
Officer on Special Duty (Judicial),
Governor's Secretariat, Bihar,
Raj Bhavan, Patna-800022.

Patna, Dated-12 / 10/2022

Subject: – **Regarding rendering opinion on equivalence of class 12th with those who have passed ITI examination and passed the Higher Secondary Level Exam (Hindi & English) for the enrolment of candidates in Graduation.**

Reference: - Letter No.-बी. यू.-24/2019-711/रा.स.(I), Dated-23.05.2022.
Letter No.-15/एम 1–01/2019–2651, Dated-05.09.2022

Sir,

With reference to the above mentioned subject, after examination of the proposal sent by the Governor's Secretariat vide letter no.- BU-24/2019-711 and letter no.- 2651 of the Director, Higher Education, Government of Bihar, it has been observed that the Education Department, Government of Bihar vide memo no. 342, dated-09.07.2018 has taken the decision that the passing of ITI examination along with passing in Hindi and English subject of 12th standard taken by the Bihar School Examination Board will be considered equivalent to the passing of 12th examination and it should be sent to all the Universities of Bihar with a direction to consider the said equivalence while taking admission in Graduate courses, subject to the condition mentioned in the aforesaid decision.

Therefore, the Hon'ble Chancellor may approve the aforesaid proposal in light of the decision taken by the Education Department, Government of Bihar in this matter.

Yours sincerely,

11/10/22

(Asangba Chuba Ao)

4355
14/x/22

14/10/2022

पत्रांक 15/एम 1-01/2019 — 2567.

शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

रेखा कुमारी,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

सचिव,
राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 26.11. 2021

विषयः ITI परीक्षा उत्तीर्ण एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 12वीं उत्तीर्ण की समकक्षता के अनुरूप स्नातक कक्षा में नामांकन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार के ज्ञापांक 9/विविध-10/2017-342 दिनांक 09.07.2018 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विधालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक- के0वी0-362/2020 दिनांक 24.11.2020 द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा (ITI) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की स्थिति में केवल विज्ञान संकाय (गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र) के लिए 12वीं उत्तीर्ण की समकक्षता प्रदान की गई है।

ITI परीक्षा उत्तीर्ण एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में 12वीं उत्तीर्ण समकक्षता के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के बिंदु पर समीक्षा हेतु सचिव, शिक्षा विभाग के आदेश ज्ञापांक 423 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा एक समिति गठित की गई। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्न अनुंशसा की गयी :-

"समकक्षता के आधार पर स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम/नामांकन का निर्धारण का दायित्व संगत अधिनियम के आलोक में राज्यपाल सचिवालय में निहित है। अतः इस मामले में अग्रेतर निर्णय लेने हेतु राज्यपाल सचिवालय से अनुरोध करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा से आग्रह किया गया।"

अतः विभागीय पत्रांक 342 दिनांक 09.07.2018, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना का पत्रांक-के0वी0-362/2020 दिनांक 24.11.2020 एवं बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त मामले में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

26.11.21.

(रेखा कुमारी)
निदेशक, उच्च शिक्षा

विभागीय पत्रांक–2336 दिनांक 26.10.2021 के आलोक में दिनांक 28.10.2021 को 11.00 बजे पूर्वा० में सचिव, शिक्षा विभाग के आदेश ज्ञापांक–423 दिनांक 19.02.2021 से गठित समिति द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा (ITI) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा उत्तीर्ण होने की स्थिति में 12वीं उत्तीर्ण की समकक्षता प्रदान करने के बिन्दु पर विचार विमर्श करने हेतु आहूत बैठक में उपस्थित पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं कार्यवाही :–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार – उपस्थित
2. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार – उपस्थित
3. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (श्रम संसाधन विभाग), बिहार – उपस्थित
4. सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बुद्ध मार्ग, पटना – उपस्थित
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार (समन्वयक) – उपस्थित

कार्यवाही

निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए बताया गया कि शिक्षा विभाग, बिहार के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–09/विविध–10/2017–342 दिनांक 09.07.2018 द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा (ITI) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आई०टी०आई० के उत्तीर्ण होने वाले वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की हो, को 12वीं के समकक्ष माने जाने हेतु पत्र निर्गत है। उक्त आधार पर बारहवीं के समकक्षता प्राप्त करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में नामांकन लेने के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालय को निदेश दिया जाना है।

उपर्युक्त संपूर्ण बिन्दुओं पर समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त समकक्षता के आधार पर स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम/नामांकन का निर्धारण का दायित्व संगत अधिनियम के आलोक में राज्यपाल सचिवालय में निहित है। अतः इस मामले में अग्रेतर निर्णय लेने हेतु राज्यपाल सचिवालय से अनुरोध करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा से आग्रह किया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

03.11.21
(रेखा कुमारी)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

01.11.21
(मनोज कुमार)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

(3)
(38)
(2) 1498

ज्ञापांक–15 / एम1–01 / 2019 – 2413.   पटना, दिनांक 08. 11. 2021

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, के आप्त सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार / निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार / निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (श्रम संसाधन विभाग), बिहार / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बुद्ध मार्ग, पटना एवं निदेशक, उच्च शिक्षा के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 03.11.21

(रेखा कुमारी)
निदेशक (उच्च शिक्षा)

4065
29/11/2021

पीत पत्र के बदले में।

सं0 सं0–09/विविध–10/2017 703
दिनांक 07.12.2020

निदेशक, उच्च शिक्षा
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना ने अपने पत्रांक–के0वी0–362/2020 दिनांक 24.11.2020 द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा (I.T.I) एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उच्च कक्षाओ में नामांकन के लिए 12वीं उत्तीर्ण की समकक्षता दिये जाने की सूचना राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं बाहर के विश्वविद्यालय को देने का अनुरोध किया है।

ज्ञातव्य हो कि विभागीय आदेश ज्ञापांक–342 दिनांक 09.07.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा (I.T.I) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की स्थिति में केवल विज्ञान संकाय (गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र) के लिए 12वीं उत्तीर्ण की समकक्षता देय है। 12वीं की समकक्षता प्राणीशास्त्र/वनस्पतिशास्त्र अथवा कृषि संकाय के लिए नहीं होगी।

वर्णित तथ्यों के आलोक में परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त पत्र अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु आपकों प्रेषित की जा रही है।

अनु0 : यथोक्त।

05/12/20

(गिरिवर दयाल सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

(उ0 शि0) प्रकोष्ठ
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना
क्रम संख्या 5733
दिनांक 9-12-20

पत्रांक के०वि० 362 / 2020

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (के०वि०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

सेवा में,

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 24/11/2020

विषय– ITI परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातक में नामांकन के संबंध में।

प्रसंग–उप सचिव, शिक्षा विभाग, पटना के ज्ञापांक – 09 / विविध –10/2017–342 दिनांक 09.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में अंकित करना है कि आवेदिका पुष्पांजली कुमारी औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा, 2019 की परीक्षा पास की है तथा आवेदन समर्पित की है कि उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातक में नामांकन लेने के क्रम में वेबसाईट पर इसकी जानकारी विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयीं हैं।

इस संबंध में अंकनीय है कि सरकार के उपसचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 09/विविध–10/2017–342 दिनांक 09.07.2018 के आदेश के आलोक में 12वीं उत्तीर्ण की समकक्षता हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा, 2019 आयोजित की गयी है। उक्त पत्र में वर्णित है कि औद्योगिक प्रशिक्षण परीक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) परीक्षा, 2019 में उत्तीर्ण छात्र/छात्रा 12वीं (इन्टरमिडिएट) के समकक्ष माना जाएगा। 12वीं (इन्टरमिडिएट) कक्षा की समकक्षता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञान संकाय (गणित, भौतिकी शास्त्र एवं रसायन शास्त्र) में उत्तीर्ण माना जायेगा। निदेशानुसार 12वीं (इन्टरमिडिएट) की समकक्षता प्राणिशास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं कृषि संकाय के लिए मान्य नहीं होगा।

उक्त के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष मान्यता प्रदान की गयी है। कतिपय अन्य आवेदकों द्वारा भी उच्च कक्षाओं में नामांकन के लिए विश्वविद्यालयों को संसूचित करने हेतु आवेदित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आशय की सूचना राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं बिहार राज्य के बाहर के विश्वविद्यालय को देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

परीक्षा नियंत्रक (विविध)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

k.v.1

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या : 09/विविध–10/2017 .... /श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से दो या दो वर्ष से अधिक अवधि के व्यावसायों के प्रशिक्षणार्थियों को 10वीं एवं 12वीं के समकक्ष मान्यता एवं संकाय निर्धारण का प्रस्ताव विचाराधीन था। सम्यक् विचारोपरान्त श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित दो वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र नेशनल कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) द्वारा दिया जाता है को 10वीं एवं 12वीं की समकक्ष निम्न शर्तो के अधीन मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है :–

1. कक्षा 10वीं की समकक्षता :–
   (i) कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।
   (ii) उपरोक्त दोनों विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा तथा आई0टी0आई0 की परीक्षा सम्मिलित रूप से उतीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा 10वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आई0टी0आई0 के उतीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उतीर्ण की है।
   (iii) कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) के दो या दो से अधिक वर्षो का मान्यता प्राप्त कोर्स उतीर्ण (आदेश के पूर्व एवं पश्चात) कर चुके विद्यार्थी 10वीं की समकक्षता हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उतीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
2. कक्षा 12वीं की समकक्षता :–
   (i) कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT)/स्टेट कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स मे प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 12वी के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते है तो उन्हें आगे की शिक्षा मे प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

(ii) उपरोक्त दोनों विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा तथा आई०टी०आई० की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा। यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा आई०टी०आई० के उत्तीर्ण वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की है।

(iii) कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) / स्टेट कॉसिंल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) के दो या दो से अधिक वर्षो का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेश के पूर्व एवं पश्चात) कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।

3. संकाय निर्धारण :–

उक्त सभी बिन्दुओं में वर्णित शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त उच्च शिक्षा एवं अन्य उद्देश्य हेतु बारहवीं की समकक्षता प्राप्त करने वाले छात्रों को विज्ञान संकाय (गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र) से उतीर्ण छात्र माना जायेगा। बारहवीं की समकक्षता प्राणिशास्त्र / वनस्पतिशास्त्र अथवा कृषि संकाय के लिए नहीं होगी।

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव।
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09 / विविध–10 / 2017 .... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निजी सचिव / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / निदेशक, उच्च शिक्षा / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / सहायक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रभारी पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09 / विविध–10 / 2017 ...342... पटना, दिनांक ...9.7.2018...

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

E:\Sec Edu\Office Order-II 66

Scanned with CamScanner